भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2724

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राजस्थान में स्व-सहायता समूह के लाभार्थी

2724. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2023 से 2025 की अवधि में, राजस्थान में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) कौशल विकास, सूक्ष्म ऋण (माइक्रोक्रेडिट) और आजीविका योजनाओं से लाभान्वित हुई महिलाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) टोंक-सवाई माधोपुर में स्व-सहायता समूहों के गठन, ऋण वितरण और उद्यम विकास से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं के जिले-स्तरीय प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन हेतु स्थापित तंत्र क्या हैं; और

(घ) क्या इन जिलों की हस्तशिल्प और कृषि आधारित महिला उद्यमियों को बाज़ार से जुड़ाव (मार्केट लिंकेज), इन्क्यूबेशन या निर्यात संबंधी सहायता प्राप्त होती है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) राजस्थान में, अप्रैल 2023 से 2025 की अवधि के दौरान, आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए कुल 38.04 लाख ग्रामीण महिला परिवारों को 3.22 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है। इसके अलावा, 68,663 ग्रामीण महिलाओं के परिवारों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

(ख) टोंक जिले में 4,109 स्वयं सहायता समूहों को कुल 9964 लाख रुपये का ऋण संवितरण किया गया है, और सवाई माधोपुर जिले में 4040 स्वयं सहायता समूहों को 6889 लाख रुपये का ऋण संवितरण किया गया है। टोंक और सवाई माधोपुर में उद्यम विकास में शामिल स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

i) टोंक जिले में कुल 948 उद्यमों का गठन किया गया है।
ii) सवाई माधोपुर जिले में 635 उद्यमों का गठन किया गया है।

(ग) एक जिला स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली मासिक रिपोर्ट, क्षेत्र निरीक्षण और डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से सभी योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करती है। जिला टीमें नियमित रूप से प्रगति का आकलन करती हैं और राज्य को जांच परिणाम प्रस्तुत करती हैं, जो कि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सहायक होती हैं। जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) और ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) की बैठकों के माध्यम से संरचित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया गया है। ये प्लेटफॉर्म जिला और ब्लॉक दोनों स्तरों पर क्रेडिट लिंकेज, लंबित ऋण और क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करते हैं।

(घ) इन जिलों से हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्यमों से जुड़ी महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय सरस मेलों, राज्य और जिला स्तर के मेलों के साथ-साथ अन्य अनुमोदित प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर विभिन्न पहलों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, जिसका उद्देश्य बाजार तक पहुंच और उनके उत्पादों की दृश्यता को बढ़ाना है। इसके अलावा, उन्हें सरकारी विभागों और एजेंसियों से खरीद आदेश भी प्राप्त होते हैं, जिससे उनके बाजार संबंधों को मजबूत किया जाता है और निरंतर आय सृजन को सक्षम किया जाता है।